

कार्यालय,

राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी शिक्षण परिषद,

उत्तर प्रदेश सरकार।

संख्या:- प्राविण/परिषद/सम्बद्धता/2021/3537

संख्या:- दिनांक: 09/08/2021

:-आचार्य महोदय:-

अखिल भारतीय (राष्ट्रीय) शिक्षण परिषद, नई दिल्ली/राष्ट्रीय कार्यालय अथवा इतिहास, नई दिल्ली द्वारा वार्षिक सत्र 2021-22 हेतु विद्यार्थी राष्ट्रीय (राष्ट्रीय) शिक्षण संस्थाओं को अनुमोदन प्रदान किए जाने के उपरान्त प्राविणिक शिक्षण परिषद, 3000 लखनऊ से सम्बद्धता/सम्बद्धता विचार प्रदान किए जाने हेतु दिनांक- 08/08/2021 को परिषद कार्यालय में सम्बद्धता सविधि की बैठक संभव हुई। बैठक में सविधि द्वारा सत्र 2021-22 हेतु अर्जेंटिन नई संस्थाओं को सम्बद्धता/ पूर्व से संचालित संस्थाओं को सम्बद्धता विचार/ पाठ्यक्रम/ प्रवेश संस्था वृद्धि सहित अन्य सत्रों पर विचार करने हेतु सत्र 2021-22 हेतु सम्बद्धता/ सम्बद्धता विचार प्रदान किये जाने का निर्णय लिया गया।

सम्बद्धता सविधि की बैठक में निर्णय लिये निर्णय के अनुसार नई संस्था को प्राविणिक शिक्षण परिषद, 30 00 लखनऊ द्वारा सत्र 2021-22 हेतु निम्नलिखित शर्तों के अधीन पाठ्यक्रम एवं प्रवेश अर्जित प्रवेश संस्था हेतु सम्बद्धता विचार प्रदान की जाती है:-

संस्था का शीर्षक एवं नाम :- 4158-MAA KUSAM COLLEGE OF PHARMACYANSI FATEHPUR UP 212601

क्र.सं.	पाठ्यक्रम का नाम	ए०आई०सी०टी०ई०/ पी०सी०आई० परिषद द्वारा सत्र 2021-22 हेतु अनुमोदित 22 हेतु अनुमोदित प्रवेश संस्था	संस्था
1	DIPLOMA IN PHARMACY	60	60

सम्बद्धता हेतु शर्तें

- ✓ संस्था ए०आई०सी०टी०ई०/पी०सी०आई० द्वारा निर्धारित की गयी शर्तों का पूर्णतः पालन करेगी।
- ✓ संस्था उत्तर प्रदेश प्राविणिक शिक्षण परिषद एक्ट 1962 तथा प्राविणिक शिक्षण परिषद विनियमवली 1992, सेक्टर विनियमवली-2016 तथा अन्य विहित विनियम एवं आदेशों का अनुपालन करेगी तथा शुल्क निर्धारण सविधि द्वारा निर्धारित शुल्क जमा करेगी (एन० पाठ्यक्रमों हेतु ₹0 30150 00/- प्रतिवर्ष, दो वर्षीय चारोंपैसी पाठ्यक्रम हेतु ₹0- 45000 00/- प्रतिवर्ष एवं एक वर्ष दो वर्षीय पाठ्यक्रमों (दो वर्षीय चारोंपैसी पाठ्यक्रम के अतिरिक्त) हेतु ₹0-22500 00/- प्रतिवर्ष शुल्क ही प्रयोग करा/करना ही प्रारंभ किया जाएगा। उपरोक्त के अतिरिक्त करा/करनाओं से शुल्क के सम्बन्ध में संस्था-संस्था पर लागू हुए निर्णय किये जाने वाले सामन्तदेश प्रणाली होगी, और (अनुपालन कार्यवाही किया जायत आवश्यक होगा।) प्रवेश निर्धारण सविधि द्वारा सत्र 2021-22 हेतु प्रवेश का पुनर्विचारण किया जाता है, जो प्रवेश की ग्योतनाय दरे सत्रु होगी।
- ✓ संस्था को (3000) प्राविणिक शिक्षण सविधि तथा उप सविधिगत, संस्थाओं को सम्बद्ध किया जायत विनियमवली-2000 की शर्तों का अनुपालन करना होगा।
- ✓ संस्था में संयुक्त प्रवेश परीक्षा परिषद द्वारा आयोजित कराई को ही प्रवेश दिया जाएगा। शीर्षक के रिक्त रह जाने की स्थिति में उत्तर प्रदेश सरकार के निर्देशानुसार ही प्रवेश की कार्यवाही की जाएगी।
- ✓ संस्था को संस्था-संस्था पर निर्णय सामन्तदेश के अनुसार निर्धारण एवं सम्बद्धता शुल्क जमा करना होगा।

- ✓ संस्था को ए०आईसीटीआईए/पीसीआईआई से अलग की जाये हेतु अनुसंधान प्राप्त किया जाना आवश्यक होगा।
- ✓ संस्था उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा बनाये गये विधि, विधान/अधिनियम/समाजसेवा/विदेशी एवं विदेश, प्राथमिक शिक्षा, उ०उ०, संयुक्त प्रवेश परीक्षा परीषद्, उ०उ० तथा प्राथमिक शिक्षा परीषद्, उ०उ० द्वारा बनाये गये विधान, विधियाँ, आदेश, विदेश का पालन करने के लिये बाध्य होगी।
- ✓ दिवंगत इन धर्मोपदेशी परामर्शकों को संस्थाएँ यदि पी.सी.आई. आई. विधि से अनुसंधान प्राप्त करने में असमर्थ रहती है तो इस संबंध में समस्त उपलब्धित संस्था का होगा और विधिक रूप से किसी भी कार्यवाही के लिए संस्था बाध्य उपलब्ध होगी। प्राथमिक शिक्षा परीषद्, संयुक्त प्रवेश परीक्षा परीषद्, प्राथमिक शिक्षा विदेशी एवं प्राथमिक शिक्षा विभाग उत्तर प्रदेश सरकार को कोई कर प्राप्त किया जाता है तथा प्राप्त कर के संबंध में मा. न्यायालय द्वारा किसी प्रकार की प्रतिक्रिया संबंधी आदेश पत्रित किया जाता है तो समस्त प्रतिक्रिया संबंधित संस्था को करनी होगी।
- ✓ दिवंगत इन धर्मोपदेशी परामर्शकों को संयुक्त प्रवेश परीक्षा परीषद्, उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा प्रदान किये गये विधि/अधिनियम/प्रवेश परीक्षा हेतु कार्यनिर्देश प्राप्त होने के पूर्व पीसीआईआई से अनुसंधान प्राप्त कर परीषद् कार्यवाही को उपलब्ध कराना होगा अथवा उन्हें प्रवेश की (कार्यालयिक के सम्बन्ध से अथवा संस्था कर या सेवा प्रवेश) अनुसंधान नहीं प्राप्त की जायेगी।
- ✓ उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा प्रवेश हेतु पत्रित नवीकरण अथवा पत्रित का अनुसंधान कराना आवश्यक होगा।
- ✓ संस्था को अपने वेबसाइट पर संस्था की समस्त सूचनाएँ जैसे संस्था की ऐतिहासिक वृत्ति भूमि, स्टाफ, सहायक, उपकरण, प्राप्त किया जाने वाला शुल्क, सहायक शुल्क आदि का विवरण उपलब्ध कराना होगा।
- ✓ संस्था को शिक्षा-विभाग हेतु उपयुक्त साहित्य उपलब्ध कराने के साथ रैजिस्टर टोकन के सम्बन्ध में समस्त आवश्यक सावधान सुनिश्चित करनी होगी।
- ✓ संस्था को सुनिश्चित हो ले कि संस्था में (प्रशासिक/संचालित परामर्शकों को पत्रित करने हेतु निर्देशन समिति के समस्त उपलब्ध कराने गये अधिनियम, भूमि-भार, कार्यवाही, उपकरण इत्यादि का यदि संस्था द्वारा किसी अन्य परामर्शकों के संचालन में प्रयोग किया जाता है और परीषद् को इसकी जानकारी होगी है कि संस्था उपरोक्त का प्रयोग किसी अन्य कार्य के लिए कर रही है तो उपरोक्त संस्था की सम्बद्धता समाप्त होने की अनुसंधान की जायेगी।
- ✓ संस्था के सहायक निर्देशन टोकन यदि संस्था में भूमि, भवन, प्रायोगिक, उपकरण एवं अन्य सहायक ए०आईसीटीआईए/पीसीआईआई/परीषद् के मानकानुसार उपलब्ध नहीं प्राप्त करता है तो संस्था की सम्बद्धता समाप्त कर दी जायेगी।
- ✓ सम्बद्धता नहीं का अनुसंधान न किये जाने अथवा नहीं का उपलब्ध होने जाने की स्थिति में निगमनानुसार अनुसंधानानुसार कार्यवाही की जायेगी।

(सुनील कुमार सोनकर)

सचिव

ए०आई०- प्राथमिक/परीषद् संयुक्त/2021/3538-4809

दिनांक: 09/08/2021

प्राथमिक-

प्रशासक/निदेशक, MAA KUSAM COLLEGE OF PHARMACYANSI FATEHPUR UP 212601



(सुनील कुमार सोनकर)

कार्यालय,

राजिव गांधी प्रतिष्ठान दिल्ली

उत्तर प्रदेश (राजधानी)

संख्या:- प्राविध/परिचर/सम्बद्धता/2022/8785

दिनांक: 20/09/2022

:-कार्यालय द्वारा:-

अखिल भारतीय राजकीय शिक्षण परिषद, नई दिल्ली/राजकीय कार्यालय लोक दुर्गा, नई दिल्ली द्वारा वार्षिक सत्र 2022-23 हेतु विद्यार्थी राष्ट्रीय राजकीय शिक्षण संस्थानों को अनुमोदन प्रदान किए जाने के उपरान्त राजिव गांधी प्रतिष्ठान दिल्ली, 2000 लखनऊ से सम्बद्धता/सम्बद्धता विचार प्रदान किए जाने हेतु दिनांक- 20/09/2022 को परिषद कार्यालय में सम्बद्धता समिति की बैठक संचालित हुई। बैठक में समिति द्वारा सत्र 2022-23 हेतु आवेदनित नई संस्थाओं को सम्बद्धता/ पूर्ण से सम्बद्धता संस्थाओं को सम्बद्धता विचार/ परामर्श/ प्रवेश क्षमता वृद्धि सहित अन्य शर्तों पर विचार करने हेतु सत्र 2022-23 हेतु सम्बद्धता/ सम्बद्धता विचार प्रदान किये जाने का निर्णय लिया गया।

सम्बद्धता समिति की बैठक में निम्ने गरी निर्णय के अनुसार में निम्न संस्था को राजिव गांधी प्रतिष्ठान दिल्ली, 2000 लखनऊ द्वारा सत्र 2022-23 हेतु नियमित शर्तों के अंतर्गत परामर्श एवं उत्तरी अखिल प्रवेश क्षमता हेतु सम्बद्धता/सम्बद्धता विचार प्रदान की जाती है:-

संस्था का कोड एवं नाम : 4158-MAA KUSAM COLLEGE OF PHARMACY

क्रमांक	संस्था का नाम	एनआईटी/एनआईटी/एनआईटी द्वारा सत्र 2022-23 हेतु अनुमोदित प्रवेश क्षमता	परिषद द्वारा सत्र 2022-23 हेतु अनुमोदित प्रवेश क्षमता
1	DIPLOMA IN PHARMACY	30	30

सम्बद्धता हेतु शर्तें

- ✓ संस्था एनआईटी/एनआईटी/एनआईटी द्वारा निर्धारित की गयी सभी शर्तों का पूर्णतः पालन करेगी।
- ✓ संस्था उत्तर प्रदेश राजिव गांधी प्रतिष्ठान दिल्ली एच 1962 तथा राजिव गांधी प्रतिष्ठान दिल्ली/राजधानी 1992, दिल्ली/राजधानी 2000, कोयंबटूर दिल्ली/राजधानी 2016 तथा संस्था समय पर निर्दिष्ट शालासूचियों का अनुपालन करेगी तथा शुल्क निर्धारण समिति द्वारा निर्धारित शुल्क तीन वर्षों के अंतर्गत परामर्श हेतु ₹ 30150.00/- प्रतिवर्ष, दो वर्षों के अंतर्गत परामर्श हेतु ₹ 45000.00/- प्रतिवर्ष एवं एक वर्ष दो वर्षों के अंतर्गत परामर्श हेतु ₹ 22500.00/- प्रतिवर्ष शुल्क ही प्रवेश प्रवेश/परामर्श से प्रदान किया जाएगा। परामर्श के अतिरिक्त प्रवेश/परामर्शों से शुल्क के सम्बन्ध में समय-समय पर संस्था द्वारा निर्दिष्ट किये जाने वाले शालासूचियों प्रकृति प्रकृति, और अनुसंधान कार्यालयों द्वारा प्रदान किया जाएगा। प्रवेश निर्धारण समिति द्वारा सत्र 2022-23 हेतु प्रवेश का पूर्णतः पालन किया जाता है, जो प्रवेश की ग्यारहवां दर लागू होगी।
- ✓ संस्था में संयुक्त प्रवेश परीक्षा द्वारा आवेदनित करने को ही प्रवेश दिया जाएगा।
- ✓ संस्था को समय-समय पर निर्दिष्ट शालासूचियों के अनुसार निर्देशन एवं सम्बद्धता शुल्क जमा करना होगा।
- ✓ संस्था उत्तर प्रदेश शासन द्वारा निर्दिष्ट विधि/विधान/अधिनियमों/शासनादेशों/निर्देशों एवं निर्देशक, राजिव गांधी प्रतिष्ठान दिल्ली, 2000, संयुक्त प्रवेश परीक्षा परिषद, 2000 तथा राजिव गांधी प्रतिष्ठान दिल्ली, 2000 द्वारा बतवाई गयी नियमों, दिशानिर्देशों, आदेशों एवं

निर्देशों का पालन करने के लिये आवश्यक है।

- ✓ यदि संस्था का ए०आई०सी०टी०ई०/पी०सी०आई०टी० से अनुमोदन प्राप्त किया जाता है तो इस संबंध में समस्त उत्तरदायित्व संस्था का होगा और विधिक रूप से किसी भी कार्यवाही के लिए संस्था स्वयं उत्तरदायी होगी। प्रमाणिक शिक्षा परिषद, संयुक्त प्रदेश परीक्षा परिषद, प्रमाणिक शिक्षा निदेशालय एवं प्रमाणिक शिक्षा विभाग उत्तर प्रदेश सरकार के विरुद्ध यदि कोई कार्रवाई किया जाता है उक्त कार्रवाई के संबंध में यह आवश्यक द्वारा किसी प्रकार की प्रतिक्रिया संबंधी अवेरस निर्गत किया जाता है जो समस्त प्रमाणिक शिक्षा संबंधित संस्था को करनी होगी।
- ✓ संस्थाओं को संयुक्त प्रदेश परीक्षा परिषद, उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा प्रत्येक वर्ष प्रवेश हेतु आवेदनित कार्यविधिगत प्रारंभ होने के पूर्व ए०आई०सी०टी०ई०/पी०सी०आई०टी० से अनुमोदन प्राप्त कर परिषद कार्यलय को उपलब्ध बनाना होगा अन्यथा उक्त प्रवेश की (कार्यविधिगत के माध्यम से प्रवेश परीक्षा के अन्तर्गत पर/सीधे प्रवेश) अनुमति प्रदान नहीं की जायेगी।
- ✓ उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा प्रवेश हेतु समस्त संस्था पर निर्गत नवीनतम आदेशन नियमों का अनुपालन करना आवश्यकता होगा।
- ✓ संस्था को अपने वेबसाइट पर संस्था की समस्त सूचनाएं जैसे संस्था की ऐतिहासिक पृष्ठ भूमि, इलाक, सार-संग्रह, उपकरण, प्राप्त किया जाने वाला शुल्क, छात्रावास शुल्क आदि का विवरण उपलब्ध कराना होगा।
- ✓ संस्था को शिक्षण-प्रतिष्ठान हेतु उन्मुख कार्यकरण उपलब्ध करने के साथ पैगम टैकनी के सम्बन्ध में समस्त आवश्यक व्यवस्था सुनिश्चित करनी होगी।
- ✓ संस्था पर सुनिश्चित हो कि संस्था में प्रशासित/ संचालित पाठ्यक्रम को चलाने वाले हेतु निर्देशन समिति के समस्त उपलब्ध करने गये अधिदेश, भूमि-भवन, कर्मचारी, उपकरण इत्यादि का यदि संस्था द्वारा किसी अन्य पाठ्यक्रम के संचालन में प्रयोग किया जाता है और परिषद को इसकी जानकारी होती है कि संस्था उपरोक्त का प्रयोग किसी अन्य कार्य के लिए कर रही है तो तत्पश्चात् संस्था की सम्बद्धता समाप्त करने की कार्यवाही की जायेगी।
- ✓ संस्था के अवेरस स्थायी निर्देशन के दौरान यदि संस्था में भूमि, भवन, प्रयोगशाला, उपकरण एवं अन्य सार-संग्रह ए०आई०सी०टी०ई०/पी०सी०आई०टी०/परिषद के समकानुसार उपलब्ध नहीं पाया जाता है तो संस्था की सम्बद्धता समाप्त कर दी जायेगी।
- ✓ सम्बद्धता शर्तों का अनुपालन न किये जाने अथवा शर्तों का उल्लंघन किये जाने की स्थिति में निरन्तरानुसार अनुसूचित/अनुसूचित वर्ग कार्यवाही की जायेगी।


(ए०आई०सी०टी०ई०)

सचिव

ए०आई०सी०टी०ई०/परिषद सम्बद्धता/2022/8786-8924

दिनांक: 20/09/2022

प्रमाणिक:

प्रधानाचार्य/निदेशक MAA KUSAM COLLEGE OF PHARMACY


(ए०आई०सी०टी०ई०)

सचिव

- ✓ यदि संस्था का अधिनियम भारतीय उपखंडी शिक्षा परिषद्/कार्यकारी काउंसिल और ट्रिब्यूनल से अनुमोदन प्राप्त किया जाता है तो इस संबंध में संस्था उपखंडीय संस्था बन होगी और शिक्षा सच से किसी भी कार्यवाही के लिए संस्था स्वयं उत्तरदायी होगी। प्राथमिक शिक्षा परिषद, संयुक्त प्रवेश परीक्षा परिषद, प्राथमिक शिक्षा निदेशालय एवं प्राथमिक शिक्षा विभाग उत्तर प्रदेश सरकार के विरुद्ध यदि कोई कदम चलाया जाता है तो उस कदम काट के संबंध में न, गणराज्य द्वारा किसी प्रकार की प्रतिक्रिया संबंधी अंतर्गत निर्णय किया जाता है तो संस्था प्रतिक्रिया संबंधित संस्था को कराती होगी।
- ✓ संस्थाओं को संयुक्त प्रवेश परीक्षा परिषद, उत्तर प्रदेश साक्षरता द्वारा प्रवेश एवं के लिए अर्जित प्रवेश परीक्षा हेतु कार्यालयित प्रवेश होने के पूर्व अधिनियम भारतीय उपखंडी शिक्षा परिषद्/कार्यकारी काउंसिल और ट्रिब्यूनल से अनुमोदन प्राप्त कर परिषद कार्यालय को उत्तरदायी करता है। अन्यथा उन्हें प्रवेश की अनुमति प्रदान नहीं की जाएगी।
- ✓ उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा प्रवेश हेतु संस्था संस्था पर निर्दिष्ट शर्तों पर अनुमोदन प्रदान करने का अधिकार होगा।
- ✓ संस्था को अपने वेबसाइट तथा प्राथमिक शिक्षा के सुशुद्ध परीक्षा पर संस्था की संस्था सुशुद्ध जैसे संस्था की ऐतिहासिक पृष्ठ भूमि, भाषा, साक्षरता, उपकरण, प्रदान किया जाने वाला सुख, साक्षरता सुख आदि का विवरण उत्तरदायी करता है।
- ✓ संस्था को शिक्षा-प्रशिक्षण हेतु संयुक्त साक्षरता उत्तरदायी करने के साथ शिक्षा सच के संबंध में संस्था उत्तरदायी करता है।
- ✓ संस्था को सुनिश्चित हो कि संस्था में प्राथमिक/सहायक पाठ्यक्रम को लागू करने हेतु निर्देशानुसार शिक्षा के संस्था उत्तरदायी करने एवं अधिष्ठाता, भूमि-भवन, कार्यवाही, उपकरण इत्यादि का यदि संस्था द्वारा किसी अन्य पाठ्यक्रम के संस्थान में प्रवेश किया जाता है और परिषद को इसकी जानकारी होती है कि संस्था उत्तरदायी का प्रयोग किसी अन्य कार्य के लिए कर रही है तो उत्तरदायी संस्था की सम्बद्धता समाप्त किने जाने की कार्यवाही की जाएगी।
- ✓ उत्तर प्रदेश प्राथमिक शिक्षा (अधिनियम और उपखंडीय), संस्थाओं का सम्बद्ध किया जाता है। अधिनियम, 2000 के अधिनियमानुसार परिषद की सेवा पर अपने कार्यवाही, भारत और कार्यवाही को परिषद को परीक्षा के संस्थान के लिए परिषद के अधिनियम में रहती है।
- ✓ संस्था के अधिनियम भारतीय उपखंडी शिक्षा के दौरान यदि संस्था में भूमि, भवन, उपकरण, उपकरण एवं अन्य साक्षरता-संस्था एडमिनिस्ट्रेशन/सिस्टम/परिषद के साक्षरता उत्तरदायी नहीं प्राप्त करता है तो संस्था की सम्बद्धता समाप्त कर दी जाएगी।
- ✓ सम्बद्धता नहीं का अनुमोदन न किने जाने-अन्यथा नहीं का उत्तरदायी किने जाने की स्थिति में शिक्षा-सच अंतर्गत साक्षरता कार्यवाही की जाएगी।



(अनील कुमार मिश्र)

सचिव

पृ० सं०- प्राथमिक/परिषद सम्बद्धता/2023/12090002-12091230

दिनांक: 12-09-2023

प्रतिनिधि-

प्रधानाचार्य/निदेशक, MAA KUSAM COLLEGE OF PHARMACY



(अनील कुमार मिश्र)

सचिव